भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2904

उत्तर देने की तारीखः 18.03.2025

जनजातीय सफाईकर्मी

2904. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात में आदिवासी श्रमिकों की कार्य स्थितियां क्या हैं, जिन्हें न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जाता है और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है;

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा देने से इनकार करने वाली निजी कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने उन कार्य स्थितियों का कोई मूल्यांकन किया है जिनके तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कामगार काम करने के लिए मजबूर हैं और यदि हां, तो आकलन रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में निजी अपशिष्ट संग्रहण कम्पनियों का ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में उनके अंतर्गत कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या मंत्रालय ने न्यूनतम वेतन नहीं देने और हाथ से मैला ढोने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनियों और लोगों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) (केंद्रीय) संगठन विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करता है। निजी अपशिष्ट संग्रहण कंपनियां विभिन्न श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

(ग) और (घ): ऐसा कोई डेटा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ड.): न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने के संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकार का है। जहां तक मैनुअल स्कैवेंजिंग का प्रश्न है, "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" के अनुसार देश में दिनांक 06.12.2013 से हाथ से मैला ढोना एक निषिद्ध कार्य है। उपर्युक्त तिथि से कोई भी व्यक्ति अथवा एजेंसी किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला ढोने के लिए नियोजित अथवा नियुक्त नहीं कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति अथवा एजेंसी जो एमएस अधिनियम, 2013 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए हाथ से मैला ढोने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करती है तो वह उपर्युक्त अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत 2 वर्ष तक के कारावास अथवा एक लाख रूपए के जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय होगी।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से हाथ से मैला उठाने की प्रथा की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

*****